

17.05.2022

पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी की मूल अपील निर्णित हो चुकी है। अतः इस स्थगन प्रार्थना पत्र पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Prul
(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरौही

